कार्यालय कलेक्टर जिला धार

क्रमांक 552/स्थापना/2018 धार, दिनांक 24.01.2018

विज्ञप्ति

म.प्र. शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ–2/10/ 2012/सात/4 ए दिनांक 09 अगस्त 2017 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 980/2–10/2012/सात–4 ए दिनांक 18.8.2017 के तारतम्य में तहसील कार्यालय एवं कलेक्टर कार्यालय में लोक सेवा प्रबंधन विभाग के कार्य हेतु संविदा आधार पर 01–01 कार्यालय सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर 10,000/– रूपये प्रतिमाह की दर से नियोजन हेतु निम्नानुसार शर्तो के अधीन नियुक्ति किये जाने बाबद विज्ञप्ति प्रसारित है :–

रिक्त पदों का विवरण :–

संविदा पद का नाम	मानदेय	कुल स्वीकृत पद	अनारक्षित	अनु.जन.जाति	अन्य पिछडा
1	2	3	4	5	6
कार्यालय सहायक डाटा. एन्ट्री ऑपरेटर	10000/– दस हजार	04	1 1 महिला	1	1

2.1 तालिका में दर्शित स्वीकृत पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 15.2.2018 तक ऑनलाईन प्रकिया के तहत WWW.mponline.gov.in पर पोर्टल शुल्क रू0 100 प्रति अभ्यर्थी निर्धारित है ।

2.2 संविदा अवधि 01 वर्ष की होगी । नियुक्ति व्यक्ति का वार्षिक कार्य मूल्याकंन के आधार पर उपयुक्त होने की दशा में एक–एक वर्ष की सेवा वृद्धि की जा सकेगी ।

अर्हताः–

1. **आयु सीमा** :–

1. समस्त उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 वर्ष से 35 के नीचे होना चाहिये ।
2. शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को 05 वर्ष की छूट ।

2. **शेक्षणिक योग्यता** :–

1. 12 वी कक्षा उतीर्ण ।
2. कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण करने की दक्षता।
3. डाटा फिडिंग के कार्य की जानकारी ।
4. दस्तावेजों की स्केनिंग ।
5. एम.एस. ऑफिस तथा डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 3 साल का अनुभव ।
6. न्यूनतम तकनीकी योग्यता CPCT परीक्षा उतीर्ण ।

(पात्र आवेदको की सूची को सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नानुसार प्रकिया अनुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी । सी.पी.सी.टी. के स्कोर कार्ड में दो सेक्शन होते हैं, प्रथम सेक्शन कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी एवं दूसरा सेक्शन नेट टाईपिंग (हिन्दी एवं अंग्रेजी) स्पीड का होता है । नेट टाईपिंग स्पीड के लिये हिन्दी और अंग्रेजी दोनो डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के लिये क्वालिफाईड होना आवश्यक होगा । हिन्दी एवं अंग्रेजी

नेट टायपिंग स्पीड में क्वालिफाईड होने की स्थिति में मेरिट निर्धारण में कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जावेगा । लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्ही अभ्यर्थियों को शामिल किया जायेगा, जिन्होनें हिन्दी एवं अंग्रेजी नेट टायपिंग में क्वालिफाई किया हो । यदि दो या अधिक आवेदकों के कम्प्युटर प्रोफिशिन्सी में समान अंक होगें तो हिन्दी टायपिंग के अंकों के मैरिट का निर्धारण होगा । हिन्दी टायपिंग में समान अंक होने पर अंग्रेजी टायपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जावेगा । मैरिट में दो आवेदको को कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में नेट टायपिंग में समान होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता होगी)

3. संविदा नियुक्ति की सामान्य शर्तेः—

- संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगी ।
- दिनांक 01.01.2017 को आयु 18 से 35 वर्ष तक (शासकीय विभाग / उपक्रम /मण्डल से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को 05 वर्ष की छूट) अंकित की गई है।
- संविदा नियुक्ति के दौरान पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस या वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

4. मानदेय / पारिश्रमिकः—

- संविदा सेवा मे प्रतिमाह एकजाई वेतन 10000/— मात्र देय होगी ।
- संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह की पात्रता नही होगी ।
- यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसे किसी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी की होती हे ।

5 अवकाश :—

- वर्ष में 13 दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 15 चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी । अवकाश का उपभोग जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से किया जाएगा । बिना अवकाश के स्वीकृत के अवकाश पर रहने /अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थित की अवधि का वेतन देय नही होगा ।

6. ई.पी.एफ कटौत्राः—

- .ईपी.एफ कटौत्रा के संबंध में ई.पी.एफ फण्ड मिसलेनियस प्रोविजनल एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होगें ।

7. अन्यः—

- इस संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितिकरण संबंधी कोई मांग या दावा नही किया जायेगा।

- संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 15 दिन प्रभावशील होगी। इस अवधि में यदि संविदा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा कार्यभार ग्रहण नही किया तो संविदा का नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभावशुन्य हो जायेगा।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा। जिससे उनको कार्य स्तर आदि का मूल्याकंन हो सकें। गोपनीय प्रतिवेदन एवं कार्य मूल्यांकन के आधार आगामी वर्ष हेतु नियुक्ति पर विचार किया जावेगा।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम लागू होगें।
- अभ्यार्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
- मध्यप्रदेश शासन से लागू आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा।
- संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक एक माह का पूर्व का नोटिस कार्यालय को देकर अथवा एवं एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।
- किसी भी विवाद की स्थिति मे कार्यालय प्रमुख का निर्णय बंधनकारी होगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
कलेक्टर
जिला धार

पृ0क्र0 553 /लोकसू/2018 धार दिनांक 24.01.2018

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय म.प्र. भोपाल ।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र. भोपाल ।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर ।
4. अपर संचालक, जनसम्पर्क म0प्र0 बाणगंगा रोड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं लेख है कि उक्तानुसार विज्ञप्ति प्रमुख समाचार पत्रो में प्रकाशन कर, विज्ञप्ति प्रमुख समाचार पत्रो प्रकाशन कर, विज्ञप्ति की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान प्रोद्योगिकी अधिकारी जिला धार की ओर सूचनार्थ एवं लेख है किउक्त विज्ञप्ति WWW.dhar.nic.in पर अपलोड करने हेतु ।
6. जिला प्रबंधक लोकसूचना प्रबंधन धार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.पी. ऑनलाईन द्वितीय तल निरूपम शॉपिग मॉल अहमदपुर होशंगाबाद रोड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
8. परिचालन अधिकारी, एम.पी.ऑनलाईन, डी.बी.सिटी कारपोरेट पार्क अरेरा हिल्स अनोजिट जोन–1 एम.पी. नगर भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

24/01/18
कलेक्टर
जिला धार